(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
फोजाराम पुत्र जैसाराम जाति माली, निवासी अम्बावाड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		जैसाराम पुत्र गिरधारीराम जाति माली, निवासी अम्बावाडी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (07)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 321/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.2024	प्रार्थी अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 7 की संयुक्त पैतृक खातेदारी का खेत मौजा अम्बावाड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1050/670 रकबा 1.8632 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के दादाजी के फौत होने पर प्रार्थी के पिता विप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आराजी पैतृक होने से प्रार्थी का पैतृक रूप से हक हिस्सा निहित होने तथा मौके पर रहवासी ढाणी सहित काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों का सहारा लेकर प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर उसे बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है। विप्रार्थी संख्या 1 निरकुंश एवं नशेड़ी प्रवृति का होने तथा परिवार के साथ मारपीट पर उतारू रहता है एवं विवादित आराजी का बैचान करने पर आमादा है। चूंकि उक्त विवादित आराजी विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक रूप से प्राप्त होने पर उनकी जांइदा संतानों का भी बराबर हक हिस्सा निहित है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तथा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है या पैतृक संपति में रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर भूमि का बैचान या अन्य हस्तांतरण आदि किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थी सख्या 1 के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने, भूमि का बैचान/हस्तांतरण नहीं करने तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी विप्रार्थी संख्या 1 को उनके पिता के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है, जो पैतृक भूमि है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पति में उनके वारिशान का जन्मतः अधिकार निहित हो जाता है। प्रार्थी का उक्त पैतृक भूमि में मौके पर रहवासी ढाणी सहित काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थी सख्या 1 द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर उन्हे बेदखल किया जाता है अथवा भूमि का बैचान या अन्य हस्तांतरण आदि किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थी के पैतृक खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति [illegible] तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा अम्बावाड़ी, तहसील [illegible] रकबा 1.8632 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के [illegible] विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी [illegible]/हस्तांतरण नहीं करने [illegible] राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के [illegible]शय का अस्थाई अंतरिम स[illegible] आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया [illegible] है। उक्त स्थगन से आवा[illegible] हेतु चलायमान रास्ता अप्रभावित रहेगा। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 11.12.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.9.25	पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामिली रजि. एडी से करवाने हेतु दिनांक 8.10.25 को पेश हो सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
8.10.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित. पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 27.10.25 को पेश हो।	
27.10.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय समय में प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को रुक-रुककर आवाजें दी जाने के बावजूद अनुपस्थित। अतः पत्रावली में कोई प्रभावी पैरवी नहीं होने तथा प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर उक्त आवेदन अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested